

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-179/2019 - 3232

/पटना, दिनांक-29/7/19

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

बिहार, पटना।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

क्र0सं0	कार्य प्रमंडल	प्रखंड	पथ का नाम	लम्बाई (कि0मी0)	मूल कार्यकी राशि (लाख में)	पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि (लाख में)	आकस्मिकता की राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)
1	JAMUI	Khaira	Kawakol Road To Khalari via Sakdari To Khalari via Sakdari	8.780	226.390	77.760	22.639	326.789
2	JAMUI	Khaira	Khaira-Song RD To Dinari Vaya Dehridih Korwadih	8.000	197.680	73.500	19.768	290.948
3	JAMUI	Barhat	Jamui Munger PWD Road To Patauna	1.050	25.990	9.870	2.599	38.459
4	JAMUI	Barhat	Kharagpur PWD Road (PARO) To Bahrou	1.350	33.410	13.070	3.341	49.821
5	JAMUI	Laxmipur	Sondipi- Khior PWD Road To Shivsona Road	1.000	27.370	9.500	2.737	39.607
6	JAMUI	Laxmipur	Khagarpur PWD Road To Lakara- Panpurwa Road.	1.800	43.390	16.970	4.339	64.699
7	JAMUI	Sikandra	Jamui Sikandra PWD RD To Amin Village Road To Amin Village Road	1.000	31.910	10.200	3.191	45.301
8	JAMUI	Sikandra	Sikandra Lachhuar PWD Road To Khutkat To Khutkat	0.700	21.440	6.670	2.144	30.254
9	JAMUI	Sikandra	L056 - Maina To Mandra (VR56)	2.086	55.720	20.040	5.572	81.332
10	JAMUI	Sikandra	Lachhuar- Korbaia Nauadih To Lohsiyani Road	2.200	55.960	20.950	5.596	82.506
11	JAMUI	Sikandra	Nawada- Sikandra PWD Road To Mishradih via Garsanda- Fatehpur Road	4.900	118.570	46.400	11.857	176.827
12	JAMUI	Sikandra	Gokhula To Mathurapur Road	8.500	202.220	78.950	20.222	301.392

13	JAMUI	Sikandra	Manjosh To Jalal - Dostani	2.580	73.620	22.130	7.362	103.112
14	JAMUI	Sikandra	Jamui - Sikandra PWD Road To Barabandh Road via Kaithwara	3.250	82.080	30.830	8.208	121.118
15	JAMUI	Aliganj	Sewa Kolhana REO Road with Maina Chhatar Link Road To Chhatiyani	3.700	100.220	33.740	10.022	143.982
16	JAMUI	Aliganj	Mirzaganj - Gahlaut PMGSY Road To Aliganj- Baladih Road via Mohmad, Birju Nagar, Pursunda & Baladih To Aliganj - Baladih Road via Mohmad, Birju Nagar	9.500	233.820	84.820	23.382	342.022
17	JAMUI	Aliganj	Sikandra - Nawada PWD Road To Baladih	7.000	170.980	63.380	17.098	251.458
18	JAMUI	Aliganj	Sikandra- Nawada PWD Road To Bachha & Darh Road	4.000	106.330	37.190	10.633	154.153
19	JAMUI	Aliganj	Manpur - Baladih To - Pursunda Road.	5.000	134.760	43.120	13.476	191.356
20	JAMUI	Aliganj	Sikandra Nawada PWD Road To Gahlaur	3.330	96.210	29.890	9.621	135.721
21	JAMUI	Aliganj	Navi Nagar To Sahpur via Hathiya Road	3.250	86.980	29.690	8.698	125.368
22	JAMUI	Aliganj	PWD Road To Chitauni Road	2.250	61.810	19.550	6.181	87.541
23	JAMUI	Aliganj	Sikandra Nawada PWD Road To Baladih	7.000	170.980	63.380	17.098	251.458
TOTAL				92.226				3435.224

- कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, जमुई योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के तहत MBD आधारित ई-निविदा के माध्यम से आमंत्रित कार्य का सम्पादन संबंधित कार्य कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
- इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग पटना का अनुमोदन संचिका संख्या- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-64/2019 में दिनांक 01.06.2019 को प्राप्त है।
- सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक-22.07.2019 को संचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-179/2019 में अनुमोदन प्राप्त है।
- योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
- योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अछादित नहीं हो।
- संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरांत ही योजना कार्यान्वित की जाय।
- बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राड के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।

11. वित्त विभाग के संकल्प सं०-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-मु०अ०-4 (मु०)-3054 04-179/2019 के पृ०-14/टि० पर दिनांक-28/11/19 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(मु० सोहल)
अपर सचिव

पत्रांक- मु०अ०-4 (मु०)-3054-04-179/2019 -3232/पटना, दिनांक-29/11/19
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

पत्रांक- मु०अ०-4 (मु०)-3054-04-179/2019 3232/पटना, दिनांक-29/11/19

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, जमुई/उप विकास आयुक्त, जमुई/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-2 एवं 4, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई०टी० नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव